मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 19 फरवरी, 2015 (माघ 30, शक सम्वत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 10:32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित के निधन पर सदन की ओर से शोकोदगार व्यक्त किये गये : -

(1) श्री रामेश्वर ठाकुर, पूर्व राज्यपाल,
(2) डॉ. मालती मौर्य, पूर्व विधान सभा सदस्य,
(3) श्री शंकरलाल साबू, पूर्व विधान सभा सदस्य,
(4) कुंवर अशोक वीर विक्रम सिंह, पूर्व विधान सभा सदस्य,
(5) श्री आर.के. लक्ष्मण, सुप्रसिद्ध कार्टूनिस्ट तथा
(6) धार जिले में यात्री बस के खाई में गिरने से मृत व्यक्ति.

सर्वश्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री, सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती शीला त्यागी, सदस्य तथा डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, उपाध्यक्ष महोदय ने भी शोकोदगार व्यक्त किये. अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की गई तथा सदन द्वारा 2 मिनिट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

दिवंगतों के सम्मान में कार्यवाही 10.46 बजे 5 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 10.51 बजे पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

2. कार्यवाही में व्यवधान

कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा प्रश्नकाल के दौरान कार्यवाही लगातार बाधित की जाना

श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य कांग्रेस पक्ष के अनेक सदस्यगण द्वारा प्रश्नकाल में लगातार व्यवधान उपस्थित किए जाने के कारण माननीय अध्यक्ष द्वारा10.59 बजे सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की गई. कार्यवाही 11.15 बजे पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

3. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 2 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1 और 2) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 42 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 54 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

4. स्थगन प्रस्ताव

प्रदेश के अनेक जिलों में स्वाइन फ्लू संक्रमण से मौतें होना

प्रदेश के अनेक जिलों में स्वाइन फ्लू संक्रमण से मौतें होने संबंधी स्थगन प्रस्ताव की सूचना अध्यक्ष महोदय द्वारा पढ़ी गई तथा डॉ. नरोत्तम मिश्र, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य कर चर्चा प्रारम्भ करने हेतु सहमति दी गई. ग्राह्य प्रस्ताव पर तत्काल चर्चा प्रारंभ की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री आरिफ अकील
(3) श्री रामनिवास रावत
(4) श्री मुकेश नायक
(5) श्री बाला बच्चन

डॉ. नरोत्तम मिश्र, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

5. बहिर्गमन

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा प्रदेश में स्वाइन फ्लू संक्रमण से मौतें होने के विरोध में बहिर्गमन

श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा प्रदेश में स्वाइन फ्लू से, संक्रमण से मौते होने संबंधी शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया.

6. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री अजय सिंह, सदस्य की भोपाल के भानपुर केकड़िया ग्राम में मुख्यमंत्री आवास योजना में दिये गये पट्टाधारियों को कब्जा न दिये जाने,
(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के आलमपुर कस्बे में इंदौर स्टेट के महाराजा की छत्री जीर्ण शीर्ण होने
(3) श्री आरिफ अकील, सदस्य की प्रदेश में युवा इंजीनियर योजना के रजिस्ट्रेशन का कार्य लोक निर्माण विभाग को सौंपे जाने,
(4) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य की मुंगावली में एप्रोच रोड़ न होने,
(5) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की उज्जैन संभाग में कृषकों के बैंक ऋण का उल्लेख राजस्व में न किये जाने,
(6) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर के ग्राम गंगानगर में प्राथमिक शाला न होने
(7) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की इंदौर शहर में दूषित सब्जियों की विक्री होने तथा
(8) श्री दिलीप सिंह शेखावत, सदस्य की प्रदेश के उद्योगों में कार्यरत ठेका श्रमिकों के वेतन में वृद्धि किये जाने,

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

7. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश वित्त निगम का 59 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 पटल पर रखा.

(2) कुंवर विजय शाह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन का 11 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब-पत्रक, वित्तीय वर्ष 2013-14 पटल पर रखे.

(3) श्री अंतर सिंह आर्य, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक में की गई अनुशंसाओं का पालन प्रतिवेदन पटल पर रखा.

8. दिसम्बर, 2014 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने दिसम्बर, 2014 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

9. नियम 267 - क के अधीन दिसम्बर, 2014 सत्र में पढ़ी गयी सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने दिसम्बर, 2014 सत्र में नियम 267-क के अधीन पढ़ी गयी सूचनाओं तथा उनके शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

10. राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा के विगत सत्र में पारित 12 विधेयकों को माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई हैं, जिनके नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं. इन विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे :--

क्र.	राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक	अधिनियम क्रमांक
(1)	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-7) विधेयक, 2014 (क्रमांक 26 सन् 2014)	अधिनियम क्रमांक 19 सन् 2014
(2)	मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 23 सन् 2014)	अधिनियम क्रमांक 20 सन् 2014
(3)	मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 24 सन् 2014)	अधिनियम क्रमांक 21 सन् 2014
(4)	मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक, 2014 (क्रमांक 25 सन् 2014)	अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2014
(5)	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 31 सन् 2014)	अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2014
(6)	मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 30 सन् 2014)	अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2015
(7)	भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 28 सन् 2014)	अधिनियम क्रमांक 2 सन् 2015
(8)	मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 29 सन् 2014)	अधिनियम क्रमांक 3 सन् 2015

(9)	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2014 (क्रमांक 21 सन् 2014)	अधिनियम क्रमांक 4 सन् 2015
(10)	मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 22 सन् 2014)	अधिनियम क्रमांक 5 सन् 2015
(11)	मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 19 सन् 2014)	अधिनियम क्रमांक 6 सन् 2015
(12)	मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 20 सन् 2014)	अधिनियम क्रमांक 7 सन् 2015

11. सम्पत्ति विवरण पटल पर रखा जाना

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री द्वारा अपना एवं परिवार की चल/अचल सम्पत्ति का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

12. ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री आरिफ अकील तथा रामनिवास रावत, सदस्यगण ने प्रदेश के अनेक जिलों में यूरिया खाद की कमी की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से भोजनावकाश के ठीक पूर्व आज की कार्यसूची में उल्लिखित कार्यों के पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि संबंधी घोषणा की गई.

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(2) सर्वश्री यशपाल सिंह सिसोदिया तथा देवेन्द्र वर्मा, सदस्यगण ने इन्दौर एवं उज्जैन संभाग में साइबर अपराधों में वृद्धि होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

13. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पंचम् प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री रामलाल रौतेल, सदस्य द्वारा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का पंचम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी, 2015 को चर्चा के लिए आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करके अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :--

क्रमांक	अशासकीय संकल्प क्रमांक	माननीय सदस्य	निर्धारित समय
1.	क्रमांक-2	श्री संजय पाठक	20 मिनट
2.	क्रमांक-4	श्री यशपाल सिंह सिसौदिया	20 मिनट
3.	क्रमांक-8	श्री रामलल्लू वैश्य	20 मिनट
4.	क्रमांक-18	डॉ. मोहन यादव	45 मिनट
5.	क्रमांक-20	श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा	45 मिनट

श्री रामलाल रौतेल, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी के पंचम् प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

14. सभापति तालिका की घोषणा

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया:-

(1) श्री मानवेन्द्र सिंह
(2) श्री कैलाश चावला
(3) श्रीमती अर्चना चिटनिस
(4) श्री गिरीश गौतम
(5) श्री रामनिवास रावत
(6) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा

15. अध्यक्षीय घोषणा

मध्यप्रदेश के विभिन्न संस्थानों के उत्पादों के विक्रय केन्द्रों का संचालन विधान सभा परिसर में होने विषयक

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश के विभिन्न संस्थानों के उत्पादों के विक्रय केन्द्रों का संचालन वर्तमान सत्र की अवधि में प्रात: 9.30 बजे से सांय 6.00 बजे तक विधान सभा परिसर में केंटीन गेट के समक्ष किया जायेगा.

इन विक्रय केन्द्रों का शुभारम्भ आज सदन की बैठक स्थगित होने के उपरान्त होगा. सभी माननीय सदस्यों की इस अवसर पर उपस्थिति अपेक्षित है.

अपराह्न 1.17 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी, 2015 (1 फाल्गुन, शक सम्वत् 1936) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 19 फरवरी, 2015